

प्रै बै.

श्री ऊर्जोक गांगुली,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

तेवा ऐ,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
गिरिहा नं. 2 लखनऊ में
द्वाति विद्वान् नहीं छिल्ली।

विधा 171 अनुभाग

तारीख: १५ अक्टूबर, 1994

विषय:- परमेश्वरी देवी धानुषा तरस्वती विद्या भवन इन्द्र राजे त्रिपुरा मध्य राज्य के लिए लोहीबांधी लखनऊ में विद्वान् नहीं छिल्ली।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे बड़े बड़े छिल्ली हुआ है कि परमेश्वरी देवी धानुषा तरस्वती विद्या भवन इन्द्र राजे त्रिपुरा मध्य राज्य के लोहीबांधी लखनऊ में विद्वान् नहीं छिल्ली तो सम्भवता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिशब्दों के ज्ञान आवश्यक नहीं है :-

- 1- विद्यालय डॉ देवी धानुषा तरस्वती का सम्पर्क पर नहीं नीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय डॉ प्रबन्ध नियमित में शिक्षा निवेदन द्वारा नामित एक सदस्य होना।
- 3- विद्यालय में व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश विद्यालय अनुसूचित विद्यालयों के लिए विभिन्न छात्रों के लिए नियमित शुल्क ले जायिए शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- तीसरा द्वारा राज्य सरकार ने शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से/विजिल शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/विजिल फार फॉ ईंडियन लूप लटी-फिलेट इवजामिनेशन नहीं दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों ने सम्बन्धित प्राप्त नीमे की तिथि से परिषद् है मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- तीसरा वैधिक स्वैं शिक्षावितार कर्म्मारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त कर्म्मारियों के लिए विद्यालय नहीं नहीं लेता है तो नहीं दिये जायेंगे।

गोपनीय देवी धानुषा तरस्वती
MANAGER
P.D. Dhanuka Saraswati Vidya Mandir
Senior Secondary School (Residential)

P.D. Dhanuka Saraswati Vidya Mandir
Senior Secondary School (Residential)
Kanpur Dehat, UP, India

ATTESTED

PRINCIPAL

विद्या निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जाएगे।
VRINDABAN - तेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जाएगे।

- 7- राज्य सरकार द्वारा तथा तम पर जो भी आदेश लिखा है उसका उनका पालन करेगी ।
- 8- प्रियांग का रिकॉर्ड नियांरिह इप्रज/एंजिनिअर में रखा जायेगा ।
- 9- उनके जन्मी वै राज्य सरकार के पूर्णामिकृत के लिए कोई एविक्सन/संशोधन पा परिवर्धन नहीं लिया जायेगा ।
- 2- उनके प्रतिबन्धों का पालन करना हेतु नियमितार्थ होना और यहि तकी तमव वह पाठा जाता है कि हेतु द्वारा उनके प्रतिबन्धों का पालन नहीं लिया जा रहा है अब्याप्त पालन जरूर ऐसे हों जिसे द्वारा भी यह पा प्रियिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शन ज्ञापनित प्रमाण पा लापता हो लिया जायेगा ।

भवदीप,

(अशोक गांगली)
उप सचिव ।

पृष्ठ 5352111/15-7-1994 तदर्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ संग आक्षयक शार्दूली हेतु
प्रेषित :-

- 1- शिवा निदेश, उत्तर प्रदेश नगरन्दुः ।
 2- अष्टमीय उप शिवा निदेश, आमरा नगरन्दु जामरा ।
 3- जिला प्रियांग निदेश, बुरुरा ।
 4- निर्दीश, आंग भारतीय प्रियांग उत्तर प्रदेश नगरन्दु ।
 5- प्रबन्धक, परमेश्वरी देवी धानुषा तरत्यांग प्रिया मन्दिर रमरेती वृन्दावन
भुरुरा ।

आमा दे,

अशोक गांगली
उप सचिव ।

ATTESTED

MANAGER
P.D. Dhanuka Saraswati Vidya Mandir
Senior Secondary School (Residential),
VRINDABAN

PRINCIPAL
P.D. Dhanuka Saraswati Vidya Mandir
Senior Secondary School (Residential)
VRINDAVAN